

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 14-10-2025

विषय सूची

- » कनाडाई विदेश मंत्री की भारत यात्रा
- » नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) 2023 रिपोर्ट
- » अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025
- » भारत में बांधों का सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा
- » केंद्र के रूफटॉप सौर लक्ष्यों को प्राप्त करना एक चुनौती बना रहेगा: अध्ययन

संक्षिप्त समाचार

- » यूनेस्को का चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं का नया वर्चुअल संग्रहालय
- » पोर्ट पासनी
- » विश्वास योजना
- » 6G पर दिल्ली घोषणा
- » लीप्स(LEAPS) 2025
- » रोडमाइन B
- » IUCN की नई लाल सूची में सील और पक्षी खतरे में
- » हिम तेंदुए
- » भारतीय भेड़िया

कनाडाई विदेश मंत्री की भारत यात्रा

संदर्भ

- कनाडा के विदेश मंत्री ने भारत की राजकीय यात्रा की, जिसमें दोनों पक्षों ने संबंधों को पुनर्स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें ऊर्जा संवाद को पुनः प्रारंभ करना भी शामिल है।

परिचय

- राजनयिक संबंधों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष कनानास्किस, अल्बर्टा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अपने कनाडाई समकक्ष से भेंट की। इसके बाद दोनों देशों ने एक-दूसरे की राजधानियों में उच्चायुक्तों की पुनः नियुक्ति की।

यात्रा की प्रमुख विशेषताएँ

- दोनों पक्षों ने शीघ्र ही मंत्री-स्तरीय वार्ताएं शुरू करने पर सहमति व्यक्त की, जिनमें शामिल हैं:
 - द्विपक्षीय व्यापार और निवेश,
 - नवीकरणीय ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग हेतु कनाडा-भारत मंत्री स्तरीय ऊर्जा संवाद की पुनः स्थापना,
 - संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समिति का पुनः प्रारंभ,
 - और कनाडाई एआई कंपनियों और शोधकर्ताओं को भारत के एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
- भारत और कनाडा ने SMR (स्मॉल मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी) परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों और नागरिक परमाणु ऊर्जा में अन्य सहयोग पर प्रारंभिक वार्ताएं शुरू की हैं।
- दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर वार्ता पुनः शुरू करने पर सहमति जताई।

भारत-कनाडा संबंधों पर संक्षिप्त जानकारी

- ऐतिहासिक संबंध:** भारत और कनाडा ने 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे।

- साझा लोकतांत्रिक मूल्य और राष्ट्रमंडल सदस्यता ने संबंधों को मजबूती दी है।
- भारत के 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद कनाडा की अप्रसार नीति के कारण संबंधों में ऐतिहासिक रूप से तनाव रहा।
- आर्थिक सहयोग:** 2024 में भारत कनाडा का सातवां सबसे बड़ा वस्तु और सेवा व्यापार भागीदार था, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार \$33.9 बिलियन तक पहुंचा, जबकि कनाडा का भारत को माल निर्यात \$5.3 बिलियन रहा।
- नागरिक परमाणु सहयोग:** परमाणु सहयोग समझौता (NCA) 2010 में हस्ताक्षरित हुआ, जो 2013 से लागू है।
 - एक संयुक्त समिति 2010 के “शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा में सहयोग” समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।
- अंतरिक्ष सहयोग:** ISRO और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी (CSA) के बीच 1996 और 2003 में समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुए।
 - सहयोग में उपग्रह ट्रैकिंग, अंतरिक्ष खगोलशास्त्र, और वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण शामिल हैं।
 - ISRO की वाणिज्यिक शाखा ANTRIX ने कई कनाडाई नैनोसेटेलाइट्स लॉन्च किए हैं।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी:** पृथ्वी विज्ञान विभाग और पोलर कनाडा ने ठंडे जलवाय (आर्कटिक) अध्ययन पर ज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान के आदान-प्रदान के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है।
 - राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र (NCPOR) और POLAR कनाडा के बीच 2020 में सहयोग का एक ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ।
- जन-से-जन संबंध:** कनाडा में लगभग 1.8 मिलियन इंडो-कनाडाई और एक मिलियन अनिवासी भारतीय हैं, जो उसकी जनसंख्या का 3% से अधिक हैं।
 - भारत कनाडा में अंतरराष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसमें भारतीय छात्र लगभग 40% हैं।

- ▲ सुदृढ़ सांस्कृतिक आदान-प्रदान और जीवंत प्रवासी समुदाय द्विपक्षीय धारणा को प्रभावित करते हैं।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** दोनों देश G20, राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र, और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे मंचों पर सहयोग करते हैं।

विभिन्नताओं के क्षेत्र

- **खालिस्तानी उग्रवाद:** भारत ने बार-बार खालिस्तान समर्थक गतिविधियों, जिसमें धृणा भाषण, हिंसा, और भारतीय राजनीतिक मिशनों पर हमले शामिल हैं, पर चिंता व्यक्त की है।
- **व्यापार और निवेश में अनिश्चितता:** प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौते (EPTA) पर वार्ता 2023 में राजनीतिक तनाव के कारण स्थगित हो गई थी।
 - ▲ सुदृढ़ व्यापारिक रुचि के बावजूद, राजनीतिक मुद्दे आर्थिक जुङाव को धीमा करते हैं।
- **भिन्न भू-राजनीतिक दृष्टिकोण:** भारत सुदृढ़ इंडो-पैसिफिक सहयोग चाहता है, लेकिन कनाडा का दृष्टिकोण प्रायः असंगत और घेरेलू राजनीति से प्रभावित माना जाता है।

निष्कर्ष

- भारत-कनाडा संबंधों की सुदृढ़ नींव है और व्यापार, शिक्षा, और स्वच्छ ऊर्जा में महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं।
- हालांकि, द्विपक्षीय संबंध अभी भी संवेदनशील हैं, जिनमें राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएं प्रमुख बाधाएं हैं।
- अब जबकि द्विपक्षीय संबंधों में पुराने मतभेद समाप्त होते नजर आ रहे हैं, इस सम्बन्ध का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश इन विभिन्नताओं को कैसे संभालते हैं और साझा हितों का लाभ कैसे उठाते हैं।

Source: TH

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) 2023 रिपोर्ट

संदर्भ

- भारत के महापंजीयक (RGI) ने ‘नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) पर आधारित भारत की महत्वपूर्ण

सांख्यिकी’ रिपोर्ट जारी की, जिसमें प्रमुख जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों, जन्मों में गिरावट, मृत्यु दर में मामूली वृद्धि, एवं जन्म के समय लिंगानुपात तथा पंजीकरण स्तरों में क्षेत्रीय भिन्नताओं को उजागर किया गया।

CRS 2023 रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **पंजीकृत जन्म:** 2023 में 2.52 करोड़ जन्म पंजीकृत हुए, जो 2022 की तुलना में लगभग 2.32 लाख कम हैं।
 - ▲ कुल जन्म पंजीकरण दर 98.4% रही, जो लगभग पूर्ण कवरेज को दर्शाती है। संस्थागत जन्म: कुल पंजीकृत जन्मों में से 74.7%।
- **पंजीकृत मृत्यु:** 2023 में 86.6 लाख मृत्यु पंजीकृत हुईं, जो 2022 की 86.5 लाख मृत्यु की तुलना में मामूली वृद्धि है।
 - ▲ 2021 में मृत्यु दर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई थी, जब COVID-19 की दूसरी लहर के कारण मृत्यु संख्या 2020 की तुलना में 21 लाख बढ़कर 102.2 लाख हो गई थी।

जन्म के समय लिंगानुपात (SRB):

- ▲ **न्यूनतम SRB:** झारखण्ड (899), बिहार (900), तेलंगाना (906), महाराष्ट्र (909), गुजरात (910), हरियाणा (911), और मिजोरम (911)।
- ▲ **अधिकतम SRB:** अरुणाचल प्रदेश (1,085), नागालैंड (1,007), गोवा (973), त्रिपुरा (972), और केरल (967)।
- ▲ **प्रवृत्ति:** बिहार 2020 से लगातार सबसे कम SRB दर्ज कर रहा है, जो लिंग असंतुलन की स्थायी समस्या को दर्शाता है।
- **जन्मों का समय पर पंजीकरण:** 11 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों ने 21 दिनों के अंदर 90% से अधिक पंजीकरण प्राप्त किया, जिनमें गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, गोवा और पंजाब शामिल हैं।
 - ▲ 5 राज्यों (ओडिशा, मिजोरम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश) ने 80–90% पंजीकरण दर्ज किया, जबकि 14 राज्य 50–80% के बीच रहे। सिक्किम का डेटा इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) के बारे में

- भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) जन्म, मृत्यु और मृतजन्म जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के निरंतर, स्थायी एवं अनिवार्य पंजीकरण की एक एकीकृत प्रक्रिया है।
- यह विवाह या तलाक के पंजीकरण को शामिल नहीं करती।
- यह प्रणाली ‘जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969’ के अंतर्गत संचालित होती है, जो उस क्षेत्र के नामित पंजीयक को सभी जन्मों एवं मृत्यु की अनिवार्य रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाता है।

Source: TH

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025

संदर्भ

- 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकिर, फिलिप एधियन और पीटर हॉविट को नवाचार एवं आर्थिक विकास पर उनके क्रांतिकारी कार्य के लिए प्रदान किया गया।

आधुनिक आर्थिक विकास की ऐतिहासिक आधार

- इस शोध में यह विश्लेषण किया गया कि निरंतर आर्थिक विकास केवल विगत दो सदियों में ही क्यों उभरा, जबकि इतिहास भर में तकनीकी प्रगति होती रही।
- शोध में यह तर्क दिया गया कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व तकनीकी ज्ञान मुख्यतः “अनुप्रयुक्त” था, अर्थात् लोग यह जानते थे कि चीजें कैसे कार्य करती हैं, लेकिन यह नहीं जानते थे कि वे क्यों कार्य करती हैं।
- 16वीं-17वीं शताब्दी के दौरान वैज्ञानिक क्रांति ने इसे “प्रस्तावनात्मक” ज्ञान में बदल दिया, अर्थात् अनुभवजन्य समझ को वैज्ञानिक तर्क के साथ जोड़ना।
- विज्ञान और तकनीक का यह समन्वय “उपयोगी ज्ञान” की नींव बना, जिससे व्यवस्थित नवाचार संभव हुआ।

रचनात्मक विनाश की अर्थव्यवस्था

- उनके 1992 के मॉडल ने गणितीय रूप से यह स्पष्ट किया कि कैसे रचनात्मक विनाश — जिसमें नई तकनीकें

पुरानी को प्रतिस्थापित करती हैं — दीर्घकालिक समष्टि आर्थिक विकास को प्रेरित करता है।

- इस ढांचे में:
 - कंपनियाँ अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश करती हैं ताकि बेहतर उत्पाद या प्रक्रियाएँ विकसित की जा सकें।
 - सफल नवोन्मेषकों को अस्थायी एकाधिकार लाभ प्राप्त होते हैं।
 - समय के साथ, उन्हें नए नवोन्मेषक प्रतिस्थापित कर देते हैं — यह रचनात्मक विनाश का चक्र है।
- यह प्रक्रिया यह समझाती है कि कैसे कुल GDP निरंतर बढ़ता है, भले ही व्यक्तिगत कंपनियाँ उठती और गिरती रहें।
- उनका सामान्य-संतुलन मॉडल सभी बाजारों (वस्तु, श्रम, और पूँजी) को जोड़ता है, यह दर्शाते हुए कि सूक्ष्म स्तर के नवाचार कैसे समष्टि आर्थिक स्थिरता में बदलते हैं।
- उन्होंने यह भी दर्शाया कि R&D का सामाजिक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव होता है, जिससे अनुसंधान और शिक्षा में सार्वजनिक निवेश का औचित्य सिद्ध होता है।

भारत और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्व

- विज्ञान और मानव पूँजी में निवेश करें:** R&D फंडिंग बढ़ाएं, नवाचार केंद्र स्थापित करें, और अनुसंधान संस्थानों व उद्योगों के बीच तकनीकी हस्तांतरण को बेहतर बनाएं।
- अपनाने और नवाचार में संतुलन रखें:** भारत तकनीकी आयात और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से लाभ उठा सकता है, लेकिन दीर्घकालिक विकास के लिए स्वदेशी नवाचार क्षमता आवश्यक है, जिसे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र एवं सरल विनियमन से समर्थन मिलना चाहिए।
- प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ करें:** दूरसंचार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक बाजार प्रभुत्व को रोकें ताकि नए प्रवेशकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सकें।

- लचीली श्रम बाजार नीतियाँ अपनाएँ: “फ्लेक्सिव्योरिटी” को अपनाएं, अर्थात् कठोर नौकरी सुरक्षा के बजाय प्रशिक्षण और सामाजिक बीमा के माध्यम से श्रमिकों की सुरक्षा करें।
- समावेशी नवाचार को बढ़ावा दें: तकनीकी नीति को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल समावेशन, और सतत निर्माण से जोड़ें।

अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार

- इस पुरस्कार को आधिकारिक रूप से “अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा स्थापित आर्थिक विज्ञान का पुरस्कार” कहा जाता है।
- यह पुरस्कार 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्थापित किया गया था।
- अल्फ्रेड नोबेल 19वीं शताब्दी के स्वीडिश व्यवसायी और रसायनज्ञ थे, जिन्हें डायनामाइट के आविष्कार तथा मूल पाँच नोबेल पुरस्कारों की स्थापना के लिए जाना जाता है।
- अर्थशास्त्र के प्रथम नोबेल विजेता 1969 में रैगनार क्रिश और जान टिनबर्गन थे।

Source: IE

भारत में बांधों का सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा

संदर्भ

- हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न हितधारकों को नोटिस जारी किए, जिसमें 130 वर्ष प्राचीन मुल्लापेरियार बांध की जर्जर संरचना को सुदृढ़ करने के लिए त्वरित निर्देशों की मांग की गई।

मुल्लापेरियार बांध

- यह एक गुरुत्वाकर्षण आधारित बांध है, जो केरल के इडुक्की ज़िले में पेरियार नदी पर 1887 से 1895 के बीच बनाया गया था।
- इस बांध का संचालन और रखरखाव तमिलनाडु द्वारा किया जाता है, जो 1886 में त्रावणकोर के महाराजा एवं ब्रिटिश सरकार के बीच हस्ताक्षरित 999-वर्षीय पट्टे के अंतर्गत आता है।

- यह बांध तमिलनाडु के वैगई बेसिन की ओर जल मोड़ता है, जिससे 68,558 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है।

भारत में बांधों की स्थिति

- केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा संधारित राष्ट्रीय बड़े बांध रजिस्टर (NRRLD) के अनुसार, भारत बड़े बांधों की संख्या में वैश्विक स्तर पर चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है, जहां 6,000 से अधिक बांध चालू हैं तथा सैकड़ों निर्माणाधीन हैं।
- ये बांध सिंचाई (जो कृषि को व्यापक क्षेत्रों में समर्थन देते हैं), जलविद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और पेयजल आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सहायक हैं।
- भारत में स्थलाकृति, भूविज्ञान और जलविज्ञान आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के बांध हैं: कंक्रीट गुरुत्व बांध (जैसे भाखड़ा बांध), मृदा के बांध (जैसे बाणासुरा सागर बांध), रॉक-फिल बांध, एवं आर्च बांध (जो भारत में दुर्लभ हैं)।

बांध सुरक्षा क्यों आवश्यक है?

- प्राचीन संरचनाएँ: लगभग 80% बांध 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं, 1,000 से अधिक बांध 50–100 वर्ष पुराने हैं, और 230 से अधिक बांध 100 वर्ष से भी अधिक प्राचीन हैं।
 - इनमें से कई पुराने इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार बनाए गए थे और अब संरचनात्मक थकान, गाद जमाव और जलवायु परिवर्तनजनित तनाव के प्रति संवेदनशील हैं।
 - यह जीवन, संपत्ति और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन एवं चरम मौसम की घटनाओं के संदर्भ में।
- असंगत सुरक्षा प्रथाएँ: राज्यों और एजेंसियों के बीच बांध सुरक्षा प्रोटोकॉल में भिन्नता है, जिससे निगरानी, नियंत्रण और रखरखाव में खामियां आती हैं।
 - केंद्र सरकार ने इन प्रथाओं को एकीकृत करने के लिए 2021 के बांध सुरक्षा अधिनियम और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) की स्थापना की है।

- विनाशकारी विफलता का जोखिम: हिमनदी झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) जैसी घटनाएं सुदृढ़ सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार मुल्लापेरियार जैसे बांधों को लेकर चिंता व्यक्त की है, चेतावनी दी है कि यदि यह टूटता है तो लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है।

कानूनी और संस्थागत ढांचा

- बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021: इस अधिनियम को बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया। इसमें अनिवार्य किया गया है:
 - बांधों का खतरा वर्गीकरण;
 - आपातकालीन कार्य योजनाएं;
 - स्वतंत्र पैनलों द्वारा समय-समय पर सुरक्षा समीक्षा;
 - राज्य समितियों और राष्ट्रीय प्राधिकरण का गठन जो बांध सुरक्षा की निगरानी करेंगे।
- राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA): यह राज्यों के बीच बांध सुरक्षा प्रयासों का समन्वय करता है।
 - यह राष्ट्रीय बड़े बांध रजिस्टर का रखरखाव करता है और क्षमता निर्माण, तकनीकी मानकों एवं जन जागरूकता को बढ़ावा देता है।
- राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन: राज्यों ने बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल बनाए हैं और हजारों बांधों का मानसून पूर्व एवं पश्चात निरीक्षण किया है।
- बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP): इसे CWC द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है:
 - पुराने बांधों का पुनर्वास;
 - बेहतर सुरक्षा निगरानी;
 - बांध संचालकों और इंजीनियरों के लिए क्षमता निर्माण।
 - DRIP चरण II और III वर्तमान में 19 राज्यों के 700 से अधिक बांधों को कवर करते हुए प्रगति पर हैं।
- डिजिटल निगरानी और जलाशय प्रबंधन: CWC के बांध सुरक्षा संगठन ने निम्नलिखित पहल की है:

- वेब-आधारित जलाशय भंडारण निगरानी प्रणाली;
- वास्तविक समय में बाढ़ चेतावनी और जलाशय डेटा के लिए फ्लडवॉच इंडिया ऐप।

सुदृढ़ीकरण उपाय

- पुनर्निर्माण और पुनर्वास: उच्च जोखिम वाले बांधों के लिए संरचनात्मक उन्नयन को प्राथमिकता दें।
- एआई और विश्लेषण का उपयोग: सेंसर और वास्तविक समय डेटा प्रणालियों के माध्यम से बांध की स्थिति की निगरानी करें।
- जलवायु लचीलापन: बदलते जलविज्ञान पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा मानकों को अद्यतन करें।
- जन जागरूकता और पारदर्शिता: सुरक्षा ऑडिट और आपातकालीन योजनाओं को सार्वजनिक समीक्षा के लिए प्रकाशित करें।

Source: TH

केंद्र के रूफटॉप सौर लक्ष्यों को प्राप्त करना एक चुनौती बना रहेगा: अध्ययन

संदर्भ

- प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट संयुक्त रूप से इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (IEEFA) और JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स द्वारा प्रकाशित की गई है।

मुख्य विशेषताएँ

- लक्ष्य की प्राप्ति: 2024 और 2025 के बीच आवेदनों में लगभग चार गुना वृद्धि के बावजूद, 1 करोड़ सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लक्ष्य में से केवल 13.1% ही प्राप्त किया जा सका है।
 - इस परिप्रेक्ष्य में, वित्त वर्ष 2027 तक 1 करोड़ इंस्टॉलेशन का लक्ष्य अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
- जारी की गई सब्सिडी: जुलाई 2025 तक ₹65,700 करोड़ की आवंटित सब्सिडी में से केवल 14.1% ही जारी की गई है।

- कुल क्षमता में हिस्सेदारी:** जुलाई 2025 तक PMSGY के अंतर्गत जोड़ी गई 4.9 GW की इंस्टॉलेशन देश की कुल आवासीय रूफटॉप क्षमता का लगभग 44.5% है।
- अग्रणी राज्य:** गुजरात 1,491 मेगावाट की सबसे अधिक स्थापित आवासीय रूफटॉप सोलर क्षमता के साथ सभी राज्यों में अग्रणी है, इसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल और राजस्थान का स्थान है।
- चिंताएं:**
 - अनुमोदन में देरी:** प्रक्रियात्मक अनुमोदन प्रक्रिया धीमी है, जिसमें 45–120 दिन लगते हैं, जिससे परियोजनाओं में देरी होती है।
 - घरेलू सामग्री प्रतिबंध (DCR):** यह योजना केवल भारत में पूर्ण रूप से निर्मित सोलर सिस्टम के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।
 - उच्च लागत:** घरेलू DCR घटक आयातित घटकों की तुलना में ₹12/वॉट महंगे हैं, जिससे इंस्टॉलेशन की लागत-प्रभावशीलता कम हो जाती है।
 - आपूर्ति बाधाएं:** घरेलू डीसीआर मॉड्यूल का उत्पादन खंडित और सीमित है, जिससे डिलीवरी में दो महीने तक की देरी होती है।
 - उपभोक्ता व्यवहार:** उच्च कीमतों और लंबे इंतजार के कारण कई उपभोक्ता सब्सिडी लाभों की बजाय तीव्र इंस्टॉलेशन के लिए गैर-DCR सिस्टम को प्राथमिकता देते हैं।
- सिफारिशें**
 - घरेलू आपूर्ति बनाम निर्यात:** जब तक घरेलू मॉड्यूल आपूर्ति को PMSGY के लिए निर्यात की तुलना में प्राथमिकता देने और एंटी-डंपिंग से जुड़ी लागत दबाव को कम करने के लिए ठोस उपाय नहीं किए जाते, तब तक आवासीय रूफटॉप सोलर परियोजनाओं की सुलभता एवं समयबद्ध क्रियान्वयन अनिश्चित बना रहेगा।
 - राज्य-स्तरीय लक्ष्यों की आवश्यकता:** विशेषज्ञों ने राज्य स्तर पर स्पष्ट और समयबद्ध रूफटॉप सोलर क्षमता लक्ष्य तय करने की आवश्यकता पर बल

दिया है, ताकि एक समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण बन सके और विभिन्न क्षेत्रों में नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

- यह योजना 2024 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है, जिसके लिए रूफटॉप सोलर पैनल की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाता है।
- इंस्टॉलेशन लक्ष्य:**
 - अक्टूबर 2025 तक:** 40 लाख घरों तक पहुंचना।
 - मार्च 2027 तक:** 1 करोड़ घरों तक पहुंचना।
- यह योजना घरों को 40% तक की सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा अधिक सुलभ और किफायती बनती है।
- पात्रता:**

The household must be an Indian citizen.	The household must own a house with a roof that is suitable for installing solar panels.
The household must have a valid electricity connection.	The household must not have availed any other subsidy for solar panels.

मॉडल सोलर गांव:

- इस घटक के लिए ₹800 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें प्रत्येक चयनित मॉडल सोलर गांव को ₹1 करोड़ प्रदान किए जाएंगे।
- किसी गांव को उम्मीदवार बनने के लिए राजस्व गांव होना चाहिए, जिसकी जनसंख्या 5,000 से अधिक हो (या विशेष श्रेणी वाले राज्यों में 2,000)।
- इस पहल का उद्देश्य सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना और गांव समुदायों को ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है।

Average Monthly Electricity Consumption (units)	Suitable Rooftop Solar Plant Capacity	Subsidy Support
0-150	1-2 kW	₹ 30,000/- to ₹ 60,000/-
150-300	2-3 kW	₹ 60,000/- to ₹ 78,000/-
> 300	Above 3 kW	₹ 78,000/-

- उपलब्धि: प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSGMBY) ने मार्च 2025 तक 10 लाख घरों को सौर ऊर्जा से सशक्त बनाकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

यूनेस्को का चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं का नया वर्चुअल संग्रहालय

समाचार में

- यूनेस्को ने MONDIACULT 2025 में चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं का वर्चुअल संग्रहालय आधिकारिक रूप से लॉन्च किया।

यूनेस्को का नया वर्चुअल संग्रहालय: चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुएं

- यह सदस्य देशों की अवैध तस्करी के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई की मांग के प्रत्युत्तर में विकसित किया गया है और यह अपनी तरह की प्रथम वैश्विक पहल है।
- यह एक वैश्विक रूप से सुलभ, इमर्सिव डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य चोरी की गई विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
- वर्तमान में यह संग्रहालय 46 देशों की लगभग 240 लापता वस्तुओं को प्रदर्शित करता है, जिसका लक्ष्य है कि जैसे-जैसे वस्तुएं बरामद होकर अपने मूल देशों में लौटती जाएं, यह संग्रहालय धीरे-धीरे “खाली” होता जाए।
- इसका परिचय वास्तुकार फ्रांसिस केरे द्वारा कराया गया और यह 3D मॉडलिंग तथा वर्चुअल रियलिटी का उपयोग करके सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं का डिजिटल पुनर्निर्माण करता है।
- यह इंटरएक्टिव टूल्स, शैक्षिक सामग्री, समुदाय की गवाही और सफल पुनर्स्थापन मामलों को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित स्थान को शामिल करता है।

- यह परियोजना सऊदी अरब द्वारा वित्तीय रूप से समर्थित है और INTERPOL के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।

क्या आप जानते हैं?

- भारतीय प्रविष्टियों में छत्तीसगढ़ के महादेव मंदिर की दो नववीं शताब्दी की बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ शामिल हैं — एक नटराज और एक ब्रह्मा — जो सृजन और संहार जैसे मूल हिंदू दार्शनिक विषयों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा में वैश्विक दर्शकों को शामिल करना है।

Source: IE

पोर्ट पासनी

समाचार में

- पाकिस्तान ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका को पोर्ट पासनी को एक वाणिज्यिक टर्मिनल के रूप में विकसित और संचालित करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे अमेरिका को पाकिस्तान के महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच मिल सकेगी।

पोर्ट पासनी के बारे में

- अवस्थिति: पासनी पोर्ट बलूचिस्तान के ग्वादर ज़िले में अरब सागर के किनारे स्थित है।
 - यह चीन द्वारा संचालित ग्वादर बंदरगाह से लगभग 113 किमी पूर्व और ईरान के चाबहार बंदरगाह से लगभग 286 किमी दूर है।
- सुविधाएं: वर्तमान में यह बंदरगाह एक मछली बंदरगाह, माल जेटी, और पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी (PMSA) का एक बेस होस्ट करता है।
- प्राकृतिक गहराई: इसका डीप वाटर वाला बंदरगाह इसे प्रमुख शिपिंग और खनिज निर्यात संचालन के लिए उपयुक्त बनाता है।

रणनीतिक महत्व

- क्षेत्रीय केंद्र:** इसका स्थान ग्वादर (चीन समर्थित) और चाबहार (भारत समर्थित, ईरान) के निकट होने के कारण पासनी को एक संभावित “समुद्री त्रिकोण” का केंद्रीय बिंदु बनाता है—जो दक्षिण, पश्चिम और मध्य एशिया को जोड़ता है।
- रणनीतिक प्रतिस्पर्धा:** ग्वादर में चीन और चाबहार में भारत की मौजूदगी के साथ, पासनी में अमेरिका की उपस्थिति तीनों प्रमुख शक्तियों को निकटता में ले आएगी, जिससे व्यापार मार्गों एवं खनिज संसाधनों तक पहुंच को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।
- व्यापार और सुरक्षा:** यह बंदरगाह महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा, और सुरक्षा सहयोग के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुगम बना सकता है, साथ ही दक्षिण, पश्चिम एवं मध्य एशिया के साथ क्षेत्रीय व्यापार के लिए एक शक्तिशाली धुरी का निर्माण कर सकता है।

Source: TH

विश्वास योजना

समाचार में

- विश्वास योजना को कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 238वीं बैठक में लॉन्च किया गया।

CBT के बारे में

- CBT एक त्रिपक्षीय बोर्ड है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों, नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के सदस्य शामिल होते हैं, और इसे EPFO द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

परिचय

- उद्देश्य:** विलंबित पीएफ अंशदान पर लगाए गए भारी जुर्माने के कारण मुकदमेबाजी अधिक रही है।
 - इस योजना का उद्देश्य तर्कसंगत दंडात्मक क्षतिपूर्ति के माध्यम से मुकदमेबाजी को कम करना है।
- दंडात्मक क्षतिपूर्ति दरें:** पहले, दंडात्मक क्षतिपूर्ति की दरें 5% से 25% वार्षिक तक थीं (और 2008 से

पहले की दरी पर इससे भी अधिक दरें लागू थीं), जिससे 6,000 से अधिक लंबित मामले और ₹2,406 करोड़ की बकाया दंडात्मक क्षतिपूर्ति हो गई थी।

- अब, विश्वास योजना के तहत दंड दर को सरल बनाया गया है:
 - अधिकांश चूक के लिए फ्लैट 1% प्रति माह।
- क्रमिक दरें:** दो महीने तक की चूक पर 0.25% प्रति माह, और चार महीने तक की चूक पर 0.50% प्रति माह।
- अवधि:** यह योजना छह महीने तक लागू रहेगी और इसे अतिरिक्त छह महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

Source: TH

6G पर दिल्ली घोषणा

समाचार में

- हाल ही में, भारत 6G, 6G-IA, और ATIS की नेक्स्ट G एलायंस सहित अग्रणी वैश्विक 6G अनुसंधान गठबंधन ने नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय Bharat6G संगोष्ठी 2025 में 6G को एक वैश्विक सार्वजनिक संपत्ति के रूप में विकसित करने के लिए एक संयुक्त घोषणा जारी की।

दिल्ली घोषणा: 6G गठबंधन

- इस घोषणा में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सिद्धांतों का समर्थन किया गया कि 6G नेटवर्क विश्वसनीय, सुरक्षित, लचीले, खुले, समावेशी, किफायती और सतत हों।
- इसमें डिज़ाइन के स्तर पर विश्वसनीयता, एआई-आधारित सुरक्षा उपाय, गोपनीयता-संरक्षण वाली संरचनाएं, और बहु-विक्रेता इंटरऑपरेबिलिटी पर विशेष बल दिया गया।
- सततता को केंद्र में रखा गया, जिसमें ऊर्जा-कुशल, मरम्मत योग्य और पुनःचक्रण योग्य अवसंरचना की मांग की गई।

6G (छठी पीढ़ी की वायरलेस तकनीक) के बारे में

- 6G (छठी पीढ़ी की वायरलेस तकनीक) 5G के बाद की आगामी पीढ़ी की सेलुलर तकनीक है, जिससे कई

लाभ अपेक्षित हैं—जैसे अत्यधिक तेज डेटा गति, बेहद कम विलंबता, और नेटवर्क के अंदर संचार एवं संवेदन क्षमताओं का एकीकरण।

Source: PIB

लीप्स(LEAPS) 2025

संदर्भ

- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने लॉजिस्टिक्स एक्सीलोन्स, एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड (LEAPS) 2025 का शुभारंभ किया।

परिचय

- LEAPS वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की एक प्रमुख पहल है।
- उद्देश्य:** लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में उत्कृष्टता को मान्यता देने और उसका मानक तय करने के लिए, जिससे दक्षता, सततता, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा मिले।
- संरेखण:** यह राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022), पीएम गति शक्ति, और मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों का समर्थन करता है।
- लक्ष्य:**
 - लॉजिस्टिक्स संचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना।
 - ESG (पर्यावरण, सामाजिक, शासन) अनुपालन और हरित लॉजिस्टिक्स को प्रोत्साहित करना।
 - सरकार, उद्योग और अकादमिक जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
- यह लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विभिन्न प्रतिभागियों को शामिल करता है — जैसे वायु, सड़क, समुद्र और रेल माल परिवहन संचालक; गोदाम; बहु-मोडल परिवहनकर्ता; MSMEs; स्टार्टअप्स; एवं अकादमिक संस्थान।

Source: PIB

रोडामाइन B

संदर्भ

- भारत के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI) के वैज्ञानिकों ने नैनोप्रौद्योगिकी के साथ कॉफी-रिंग प्रभाव का उपयोग करके रोडामाइन बी जैसे विषैले अणुओं का पता लगाने के लिए एक प्रभावी और संवेदनशील विधि विकसित की है।

कॉफी-स्टेन प्रभाव की प्रक्रिया

- कॉफी-रिंग प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जिसमें जब किसी तरल की बूंद वाष्पित होती है, तो केशिका प्रवाह (कैपिलरी फ्लो) निलंबित करने को बूंद के केंद्र से किनारे की ओर ले जाता है, जिससे कर्णों के जमाव का एक विशिष्ट छल्लाकार पैटर्न बनता है।

रोडामाइन बी के बारे में

- रोडामाइन बी एक जल में घुलनशील सिंथेटिक डाई है, जो अपने चमकीले गुलाबी फ्लोरेसेंट रंग के लिए जानी जाती है।
- यह वैज्ञानिक अनुसंधान में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, जिसमें फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, फ्लो साइटोमेट्री, और ELISA जैसे बायोकेमिकल परीक्षण शामिल हैं।
- रोडामाइन बी विषैली होती है और इसमें कैंसरकारी संभावनाएं होती हैं; यह त्वचा, आंखों एवं श्वसन प्रणाली को हानि पहुंचा सकती है।

Source: TH

IUCN की नई लाल सूची में सील और पक्षी खतरे में

संदर्भ

- आर्कटिक सील और वैश्विक पक्षी जनसंख्या जलवायु परिवर्तन एवं मानव गतिविधियों के कारण गंभीर खतरे का सामना कर रही हैं, जैसा कि अबू धाबी में आयोजित बर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में जारी नवीनतम IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज में उजागर किया गया।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- आर्कटिक सील की स्थिति:** IUCN रेड लिस्ट में अब कुल 1,72,620 प्रजातियाँ शामिल हैं, जिनमें से 48,646 विलुप्ति के खतरे में हैं।
- हुडेड सील को वल्नरेबल से एंडेंजर्ड श्रेणी में स्थानांतरित किया गया है।
 - बीर्डेड और हार्प सील को अब नियर थ्रेटेड श्रेणी में रखा गया है।
- वैश्विक पक्षी जनसंख्या की स्थिति:** 61% पक्षी प्रजातियाँ जनसंख्या गिरावट का सामना कर रही हैं, जो 2016 में 44% थी।
 - 11,185 पक्षी प्रजातियों में से 1,256 (11.5%) वैश्विक रूप से संकटग्रस्त हैं।
 - ग्रीन सी टर्टल को एंडेंजर्ड से डाउनलिस्ट कर लेस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसकी जनसंख्या 1970 के दशक से 28% बढ़ी है।
- गिरावट के कारण जलवायु परिवर्तन:** आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत की तुलना में चार गुना तीव्रता से गर्म हो रहा है, जिससे बर्फ-निर्भर सील के लिए आवश्यक समुद्री बर्फ तेजी से पिघल रही है।
- मानव गतिविधियाँ:** समुद्री यातायात, औद्योगिक मछली पकड़ना, तेल निष्कर्षण और खनन जैसी गतिविधियाँ समुद्री प्रजातियों के लिए खतरे को बढ़ा रही हैं।
 - लकड़ी कटाई और कृषि विस्तार के कारण उष्णकटिबंधीय वनों का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है, जिससे पक्षी जनसंख्या विशेष रूप से मेडागास्कर, पश्चिम अफ्रीका एवं मध्य अमेरिका जैसे क्षेत्रों में खतरे में है।

IUCN के बारे में

- 1948 में स्थापित, IUCN अब विश्व का सबसे बड़ा और विविध पर्यावरणीय नेटवर्क है, जो 1,400 से अधिक सदस्य संगठनों की जानकारी, संसाधनों एवं पहुंच का उपयोग करता है।
- IUCN (इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर) एक वैश्विक सदस्यता संघ है जिसमें सरकारें, नागरिक समाज संगठन और प्रकृति संरक्षण व सतत विकास के लिए समर्पित विशेषज्ञ शामिल हैं।

- मुख्यालय:** ग्लैंड, स्विट्जरलैंड।
- IUCN रेड लिस्ट:** यह पौधों, जानवरों और कवक की वैश्विक विलुप्ति जोखिम स्थिति की जानकारी का सबसे व्यापक स्रोत है।

Source: TH

हिम तेंदुए

समाचार में

- हिम तेंदुआ, जिसे रहस्यमयी “घोस्ट ऑफ माउंटेन” कहा जाता है, बड़े बिल्ली प्रजातियों में सबसे कम आनुवंशिक विविधता रखता है — यहां तक कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त चीता से भी कम।

समाचार के बारे में अधिक जानकारी

- स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में 37 हिम तेंदुओं के पूर्ण-जीन अनुक्रमण का उपयोग किया गया, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि यह कम विविधता हालिया इनब्रीडिंग के बजाय विकासात्मक इतिहास में लगातार छोटी जनसंख्या के कारण है।

हिम तेंदुआ (Panthera uncia) के बारे में

- शारीरिक विशेषताएं:** इसकी लंबी पूँछ संतुलन बनाए रखने के लिए पतवार की तरह कार्य करती है।
- आवास:** भारत सहित 12 एशियाई देशों की दुर्गम पर्वतीय शृंखलाएं।
- जनसंख्या:** वैश्विक स्तर पर 4,500–7,500, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 10–15% है।
- संरक्षण स्थिति:** संकटग्रस्त (IUCN); वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध।
- खतरे:** जलवायु परिवर्तन, आवास क्षति, शिकार की कमी, प्रतिशोधात्मक हत्या, और अवैध शिकार।
- सांस्कृतिक महत्व:** हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का राज्य पशु।

Source: TH

भारतीय भेड़िया

समाचार में

- प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ (IUCN) ने प्रथम बार भारतीय भेड़िए (Canis lupus pallipes) का अलग से मूल्यांकन किया है, जिससे इसे कैनीस वंश के अंदर एक विशिष्ट प्रजाति के रूप में मान्यता मिलने की संभावना है।

भारतीय भेड़िया (Canis lupus pallipes)

- भारतीय भेड़िया मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है, तथा इसका ऐतिहासिक क्षेत्र हिमालय के दक्षिण में सीमित रहा है।

- यह मुख्य रूप से भारत के मध्य, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में पाया जाता है, जो सोलह राज्यों में फैला है।
- प्रमुख जनसंख्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में है।
- खतरे:** आवास की हानि, उत्पीड़न, और मानव-वन्यजीव संघर्ष।
- संरक्षण स्थिति:** यह भेड़ियों की सबसे प्राचीन वंशावलियों में से एक है, और अब IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त (Vulnerable) के रूप में सूचीबद्ध है।

Source: PIB

